न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 58 / 25
जीसीएमएस : 2025 / 860

01. पूर्णराम सूडीया पुत्र श्री गंगाराम जाति नायक निवासी चक 22 पी.एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज. जरिये मुख्तयारनामा आम बृजलाल पुत्र श्री प्रभूराम जाति नायक निवासी चक 13 आर.बी तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।

बनाम

–प्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 31.12.2025

उपस्थित अधिवक्ता:–
1. श्री लखविन्द्र सिंह प्रार्थी अधि.।
2. राजपेरोकार सरकार अप्राथी।

––निर्णय––

दिनांक:– 27.03.2026

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी कृषि जोत वाके चक 12 टी.क के खाता सं. नया 36 पुराना 30 प.नं. 201 / 303 मु.नं. 48 के किला नं. 1 ता 12, 13 / 1, 13 / 2, 20, 21 / 1, 21 / 2, 22 / 1 में कुल रकबा 3.1640 है0 नहरी खातेदारी भूमि धारण करता है इसी मुरब्बाजात 48 के प.नं. 201 / 303 में किला नं. 23 ता 25 रकबा राज है। जिसमें पूर्व में 0.0130 है0 प्रत्येक किला में रास्ता स्वीकृत है जो मौका पर चल रहा है। आज के मशीनी युग होने के कारण प्रार्थी को अपनी कृषि जोत के प्रयोजनों के लिये कृषि औजारों कम्बाईन, ट्रैक्टर, ट्राला आदि को लाने व ले जाने के लिए उक्त किला जात 23 ता 25 में रास्ता चौड़ा कराने का आश्य रखता है। क्योंकि प्रार्थी अपनी घरेलू परिस्थितियों के कारण विदेश में निवास करता है। मैं अपनी ओर से जरिये मुख्तयारे आम बृजलाल पुत्र प्रभूराम को उक्त प्रार्थना पत्र में अपनी ओर से रास्ता प्रकरण में पैरवी हेतु जरिये मुख्तयारे आम नियुक्त किया हुआ है। जिसमें उक्त रकबा राज रकबा होने के कारण असल मालिक राज0 सरकार है इसलिये श्रीमान तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक 12 टी.के तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या नया 36 पुराना 30 प. नं. 201 / 303, मुरब्बा नं. 48 के किला [illegible] 13 / 1, 13 / 2 व 20, 21 / 1, 21 / 2, 22 / [illegible] कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि औजारों को लाने व ले जाने के लिए इसी मुरब्बा जात के किला नं. 23,24,25 प्रत्येक किलाजात में पूर्व में विद्यमान 0.0130 है0 स्वीकृत रास्ता को चौड़ा व विस्तारित कर प्रत्येक किलाजात में 0.0260 है0 रास्ता विस्तारित करने के आदेश फरमाये जावे। रास्ता स्वीकृत भूमि जिसमें रास्ता चाहिये उक्त कोर्नर व अन्य किलाजात में रास्ता स्वीकृत करने हेतु कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:42:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

राशि न्यायालय तैय करता है तो प्रार्थी बाजार भाव से आदेशित राशि को जमा करवाने के लिए सहमत है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2026/196 दिनांक 12.02.2026 की मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट चक 12 टीके प०न0 201/303 मु०न० 48 किला न० 1 ता 4/1.012, 8 ता 12/1.265, 13/1/0.127, 13/2/0.089, 20/0.253, 21/1/0.127. 21/2/0.101, 22/1/0.190 कुल 3.164 है० नहरी भूमि पूर्णराम पुत्र गंगाराम जाति नायक साकिन 22 पीएस खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं। चक 12 टीके प०न0 201/303 मु०न० 48 के किला न0 5/1/0.126, 5/2/0.089, 6 सालम, 7/1/0.088, 7/2/0.126, 14 ता 18 सालम, 19/1/0.088. 19/2/0.126. 22/3/0.050. 22/4/0.013 गै०मु० रास्ता, 23/1/0.240, 23/2/0.013 गै०मु० रास्ता, 24/1/0.240, 24/2/0.013 गै०मु० रास्ता, 25/1/0.240, 25/2/0.013 गै०मु० रास्ता कुल 2.931 है० नहरी आराजीराज, 0.052 है० गं० मु० रास्ता दर्ज रिकॉर्ड हैं। प्रार्थी बृजलाल पुत्र प्रभूराम जाति नायक निवासी 13 आरबी जरिये मुख्तयारे आम द्वारा पूर्णराम पुत्र गंगाराम के रकबे में आवागमन हेतु चक 12 टीके मु0न0 48 के किला न० 23/2/0.013, 24/2/0.013, 25/2/0.013 है० गै०मु० रास्ता को चौड़ा करने हेतु रास्ता के चिपते किला न० 23/1/0.013, 24/1/0.013, 25/1/0.013 आराजीराज भूमि में रास्ता स्वीकृत करने की मांग की है अतः चक 12 टीके मु०न० 48 के किला न० 23/2/0.013, 24/2/0.013, 25/2/0.013 है० गै० मु० रास्ता को चौड़ा करने हेतु रास्ता के चिपते किला न० 23/1/0.013, 24/1/0.013, 25/1/0013 आराजीराज भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित हैं।

3. बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया और चाहा गया रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी सरकार की तरफ राजपेरोकार ने तहसीलदार की मौका रिपोर्ट अनुसार आराजीराज भूमि में रास्ता चौड़ा करने की सहमति दी है।

4. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनकर व समझकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास अपनी जोत में आने–जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है और जो रास्ता स्वीकृत है व आज के वर्तमान समय अनुसार कम है इसलिए प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है चाहा गया रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता की श्रेणी में है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 क आरटीएक्ट के तहत स्वीकार किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:42:09 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाकर चक 12 टीके मु0न0 48 के किला न० 23/2/0.013, 24/2/0.013,

अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

25/2/0.013 है० गै०मु० रास्ता को चौड़ा करने हेतु रास्ता के चिपते किला न० 23/1/0.013, 24/1/0.013, 25/1/0.013 कुल 0.039 है आराजीराज भूमि पर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थी से कुल 0.039 है भूमि की डीएलसी दर की दुगुनी राशि राजस्व मद के राजकोष में जमा करवाये इसके उपरान्त ही गैरमुमकिन रास्ता कायम करे एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:42:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner